

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कबीरधाम(छ.ग.)

// संशोधित आदेश //


क्रमांक /4538/ सां.लि/ कोरोना /2020

कवर्धा, दिनांक 03.07.2020

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1509/सां.लि./कोरोना/2020 कवर्धा, दिनांक 22.06.2020 द्वारा आपातकालीन सेवाओं एवं आबकारी मदिरा दुकानों को छोड़कर अन्य छूट प्राप्त दुकानों/संस्थानों को बंद करने का समय सांय 07:00 निर्धारित किया गया था।

उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए अस्थायी ठेलो को रात्रि 09:00 बजे तक खोलने की अनुमति प्रदान की जाती है। आदेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।


यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।


कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
कबीरधाम (छ.ग.)

पृ.क्रमांक /4539/ सां.लि/ कोरोना /2020
प्रतिलिपि:-

कवर्धा, दिनांक 03.07.2020

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, गृह विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. आयुक्त, दुर्ग संभाग, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
3. पुलिस अधीक्षक, जिला कबीरधाम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कबीरधाम को सूचनार्थ।
5. वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल कवर्धा, जिला कबीरधाम की ओर सूचनार्थ।
6. जिला सेनानी, नगर सेना, जिला कबीरधाम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. जिला परिवहन अधिकारी, जिला कबीरधाम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. जिला आबकारी अधिकारी, जिला कबीरधाम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. जिला खाद्य अधिकारी, कबीरधाम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला कबीरधाम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कबीरधाम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. सहायक संचालक, जनसंपर्क कबीरधाम की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत जिला कबीरधाम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
14. सर्व संबंधित विभाग प्रमुख/श्री.....को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।


कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
कबीरधाम (छ.ग.)